जनता के हाथ आंगनबाड़ी की बागडोर

संजय त्रिपाठी/एसएनबी

पटना। नीतीश कुमार की सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने व इनके समग्र संचालन में पारदर्शिता लाने के लिए एक नई पहल की है। सरकार ने अब आंगनबाड़ी केंद्रों की बागडोर जनता के हाथ में थमा दी है। राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के

▶ भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने उठाया कदम

लिए अंकेक्षण संबंधी नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी है।

राष्ट्रीय सहारा ने अपने 24 सितम्बर के अंक में प्रथम पृष्ठ पर 'पंच होंगे आंगनबाड़ी केंद्रों के परमेश्वर' शीर्षक से खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी। नई नियमावली के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों की मॉनिटरिंग के लिए जनता के

'पंच' होंगे आंगनबाड़ी के 'परमेश्वर

जनता के व्यापक हित में आंगनबाड़ी केन्द्रों में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जा रहा है। अब जनता ही ...नबाड़ी केन्द्रों की मॉनीटरिंग ...गी। सेविकाओं से जवाब तलब ...रेगी और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखाएगी

-परवीन अमानुल्लाह

समाज कल्याण मंत्री

▶ आंगनबाड़ी केन्द्रों की मॉनीटरिंग अ... होगी स्थानीय लोगों की समिति के जि... ▶ समाज कल्याण विभाग ने तैयार की नयी नियमावली ▶ सेविका को बर्खा... करने की अनुशंसा भी कर सकती है

बीच से पांच सदस्यीय कमेटी (पंच) बनाने का प्रावधान किया गया है। कमेटी के अनुसार ही आंगनबाड़ी केंद्र चलेंगे। कमेटी को आंगनबाड़ी केंद्रों की मॉनिटरिंग करने के साथ-साथ उनमें कार्यरत किसी भी सेविका को कार्यों में कोताही बरतने पर बर्खास्त भी करने का भी अधिकार होगा। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे सरकार की साफ मंशा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों से भ्रष्टाचार हर हाल में खत्म हो। सूबे में 80000 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं और प्रत्येक केंद्र से 99 लोग लाभान्वित होते हैं। इस तरह करीब 80 लाख लोग आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े हैं। राज्य सरकार प्रत्येक केंद्र पर 10973 रुपये खर्च कर रही है, बावजूद इसके इनकी दशा में अपेक्षित सुधार नहीं हो पा रहा है। प्रखंड स्तर से लेकर मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक में आंगनबाड़ी केंद्रों में

▶ मॉनिटरिंग को जनता के बीच से बनेगी पांच सदस्यीय कमेटी

अनियमितता को लेकर शिकायतें आती रही हैं। ऐसी शिकायतों को हमेशा के लिए दूर करने, व्यवस्था में पारदर्शिता लाने व भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए समाज कल्याण मंत्री परवीन अमानुल्लाह ने हर महीने आंगनबाड़ी केंद्रों का सामाजिक अंकेक्षण करने का निर्णय लिया है। सामाजिक अंकेक्षण

(शेष पेज 15 पर)